

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक ~~एफ-3~~ 760/2037 / 2019 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 23-5-20 20
प्रति,

✓ प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश।


विषय :- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग-दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3-1/17/234/2017/नियम/चार, दिनांक 25-2-2017 से प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार के सरल कमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Sr. No.	Description	Authority Competent to exercise the Powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
3.	CMC/AMC of the equipment	1. Joint Director of Superintendent 2. Superintendent	Up to Rs. 5.00 Lakh in each case Up to Rs. 2.00 Lakh in each case	-

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय चौबे)


उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

....2....

पृष्ठा.क्रमांक ^{701/2037} ~~स्फ-2~~ /2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23-05-2020
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर /भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।


उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग